



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 304 राँची, बुधवार, 1 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
22 मई, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 मई, 2024

सं०-06/विविध-06/2018-2830--झारखण्ड राज्य में चुने गये सांसदों/विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विधि विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या-बी०/विधि-कोर्ट गठन-19/2018-105/जे० दिनांक- 27.01.2021 के आलोक में माननीय सांसदों एवं विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक वादों के निष्पादन के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-757 दिनांक- 24.02.2022 के द्वारा राज्य के छः जिलों में गठित विशेष न्यायालयों में अभियोजन संचालन हेतु अभियोजकों को पदभिहित किया गया है ।

2. उक्त अधिसूचना द्वारा राँची, पलामू, धनबाद एवं प० सिंहभूम (चाईबासा) जिलों में पदभिहित किये गये अभियोजकों के सेवानिवृत्ति / प्रोन्नति / स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप उक्त जिलों में निम्न अभियोजकों को सांसदों/ विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरितनिष्पादन हेतु गठित विशेष न्यायालय में कार्य हेतु पदभिहित (Designate) किया जाता है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अभियोजक का नाम / पदनाम
1	राँची	श्री सिद्धार्थ सिंह, सहायक लोक अभियोजक
2	पलामू	श्री ओम कुमार, अपर लोक अभियोजक
3	धनबाद	श्री उमेश दीक्षित, सहायक लोक अभियोजक
4	प० सिंहभूम, चाईबासा	श्री राम किंकर पाण्डेय, सहायक लोक अभियोजक

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
